



2026:AHC:163202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27270/2026

सुरेश मौर्य

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : महेंद्र प्रसाद

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रसाद और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका मामले में आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह मामला अपराध संख्या 188/2026, बीएनएस की धारा 85, 80(2), 352, 115(2) और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पुलिस स्टेशन चौरी चौरा, जिला गोरखपुर में दर्ज किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदक और परिवार के अन्य सदस्यों पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर उसे झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज हत्या का अनुमान लगाने के लिए, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका को क्रूरता का शिकार बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है।
4. अंत में निवेदन किया जाता है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.05.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025)** अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुरेश मौर्य** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित वकील द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को **जेल अधीक्षक, गोरखपुर** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो कि जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में दिया गया था और जिसका निर्णय 29.05.2026 को दिया गया था।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निस्तारण हो चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 अगस्त, 2026

एसए

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।